संलग्नक - 08

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट) ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) में प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल क्षमता 1.0 मिलियन टन/वर्ष (नार्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन/वर्ष (पीक) लीज एरिया 134.192 हेक्टेयर में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 11.10.2019 को पूर्व माध्यमिक शाला, आदिमजाति कल्याण विभाग, करतली, विकासखण्ड–पाली, जिला–कोरबा के परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट) ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) में प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल क्षमता 1.0 मिलियन टन/वर्ष (नार्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन/वर्ष (पीक) लीज एरिया 134.192 हेक्टेयर में स्थापना के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अपर कलेक्टर, कोरबा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 11.10.2019 को स्थान– पूर्व माध्यमिक शाला, आदिमजाति कल्याण विभाग, करतली, विकासखण्ड–पाली, जिला–कोरबा में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री शरद तिवारी, मुख्य प्रबंधक (खनन) एसईसीएल, कोरबा क्षेत्र के द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष संक्षिप्त में दिया गया।

मेसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट) ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) में प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल क्षमता 1.0 मिलियन टन/वर्ष (नार्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन/वर्ष (पीक) लीज एरिया 134.192 हेक्टेयर में स्थापना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 10.10.2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 02 चिंताएँ/ सुझाव/ विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। दिनांक 11.10.2019 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 05 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 07 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये हैं। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 13 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 300–400 व्यक्ति उपस्थित थे।

लोक सुनवाई में मौखिक रुप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ दर्ज कराई गई :–

1. **श्रीमती मीरा फूलेश्वर, ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा –**
   गॉव में पीने का साफ पानी होना चाहिए , अस्पताल, स्कूल, मंदिर, हमारे गॉव में होना चाहिए, हमारे गॉव में पेड़–पौधे होना चाहिए, जिससे आसपास का वातावरण सही रहे।

2. **श्रीमती सुकमती, ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

हमारी जमीन माईन्स में जा रही है। अतः हमे जमीन के एवज में नौकरी चाहिए।

3. **सुभद्रा कुमारी मरकाम, ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

पुर्नवास ग्राम में हाईस्कूल चाहिए एवं सभी मूल–भूत सुविधाएँ होनी चाहिए।

4. **श्री संतोष फुलेश्वर ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

हम दिनांक 11.10.2019 की लोकसुनवाई का समर्थन करते है।

5. **श्री शिवशंकर, ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

पुर्नवास ग्राम में सभी सुविधा होनी चाहिए एवं रोजगार मिलना चाहिए, खदान खुलने से पहले ।

6. **श्रीमती राजकुमारी, ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

हमारे पास घर नहीं है। हमें घर चाहिए, एक ऑगनबाड़ी, अस्पताल चाहिए।

7. **कुमारी कलेश्वरी देवी, ग्राम–भदरापारा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा**–

आवास चाहिए, पानी की समस्या है, हमें पानी चाहिए।

8. **श्री राजिन, ग्राम–भदरापारा, तहसील–पाली,जिला–कोरबा** –

सामाजिक मंच एवं स्कूल चाहिए।

9. **श्री राहूल सिंह टेकाम,ग्राम–भदरापारा, तहसील–पाली,जिला–कोरबा** –

खदान में नौकरी मिलना चाहिए।

10. **श्री राजेश कमार टेकाम, ग्राम–भदरापारा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

हमें पुर्नवास एवं खदान में नौकरी चाहिए।

11. **श्री विरेन्द्र कुमार मरावी, ग्राम–झोरकीपारा तहसील–पाली, जिला–कोरबा** –

हमारा घर टूट गया है। हमे नया घर चाहिए। खदान में नौकरी चाहिए।

12. श्री राम सिंह, ग्राम–भदरापारा, तहसील–पाली, जिला– कोरबा –

मकान का मुआवजा आज दिनांक तक खदान प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है। हमें खदान में नौकरी चाहिए।

13. श्री शिवभगत सिहं सलाम, ग्राम–भदरापारा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा –

प्रभावित लोगों को नौकरी दी जावे। नियुमानुसार मुआवजा दिया जावे।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रुप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैः–

1. **श्री वेदराम श्रीवास, बासनपाठ भू–विस्थापित कल्याण समिति, करतली एवं अन्य 14 ग्राम–करतली, भदरापारा एवं झोरकीपारा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा –**

   यह कि कोल इंडिया बोर्ड कोलकाता के द्वारा भू–विस्थापितों को प्रदत्त अधिकारों (R&R) का कम्पनी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2016 में जिला कलेक्टर कोरबा एवं कंपनी के मध्य हुए एग्रीमेंट में District Rehabilitation and Resettlement Committee (DRRC) का पालन समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जावे।

2. **श्री फूलेश्वर प्रसाद सूरजईहा, संस्थापक, सरंक्षक वन औषधि अनुसंसाधन, एवं प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय छिरहुट, पोस्ट–गोपालपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा–**

   यह कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में भू–अर्जन किस विधि से किया जावेगा की जानकारी नहीं दी गई है जैसे कि एसईसीएल के अधिकांश भूमियों का अर्जन कोल मेराज एक्ट 1957 के सेक्शन 14(2) के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन कोल प्रबंधन सेक्शन 14(2) अधिग्रहण एवं विकास के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी संबंधित भू–स्वामियों को नहीं दी गई है ? फलस्वरूप इस धारा के अंतर्गत अधिग्रहण बनाम विकास तो विकास के

Or

अंतर्गत प्रथम दृष्टया इनको रोजगार, नौकरी, मुआवजा देना लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि नौकरी देने के मापदण्ड पर जिनकी भूमि 50 डिसमिल से कम होती है उसे नौकरी नहीं दिया जाता, इस तरह जिनकी कम भूमि है, उनके मौलिक अधिकार का खण्डन होता है। खासकर कि जो विधवा महिलाएं होती है जिनके पास जमीन कम है, उन्हे नौकरी व रोजगार नहीं दिया जाता केवल मुआवजा ही दिया जाता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में निजी भूमि का विवरण दिया गया है, लेकिन भूमि अधिग्रहित होने वाले कृषकों को नौकरी देने का विवरण नहीं दिया गया है ।

3. **श्री शिवशंकर सिंह एवं अन्य, ग्राम–करतली, तहसील–पाली जिला–कोरबा**

यह कि मेसर्स अम्बिका ओपन कास्ट कोल माईन्स खुलने से प्रभावितों को नौकरी पुर्नवास एवं अन्य सुविधाओं का पूर्ण विवरण देवें ? तथा प्राथमिकता से पात्र लोगों को नौकरी शीघ्र देवें ?

4. **श्री शिवशंकर सिंह , ग्राम–करतली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा–**

यह कि पर्यावरण स्वीकृति से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों के द्वारा यह मांग है कि पात्र लोग जो इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे है? सर्वप्रथम पात्र लोगों को नौकरी पुर्नवास एवं अन्य सुविधा दी जाये ?

5. **सरपंच ग्राम पंचायत–करतला, उप सरपंच ग्राम पंचायत–करतला, समस्त ग्रामवासी एवं प्रभावित कृषक एवं अन्य, तहसील–पाली, जिला–कोरबा**

1. यह कि भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.06. 2006 जारी की गई है जो कि लगभग 13 से 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी विधिवत ग्राम सभा व पर्यावरणीय लोक सुनवाई नहीं किया जाना विधि सम्मत नहीं है। एवं ग्रामीणों को गुमराह कर अनेकों प्रकार से उलझन में रखकर आज दिनांक को पर्यावरणीय लोक सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। जिसे हम ग्रामवासियों को उक्त लोक सुनवाई से एवं खुली खदान खोले जाने से आपत्ति है।

2. यह कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा कोरबा जिला 5 वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है एवं संविधान के 5 वीं अनुसूची में दर्ज है जो कि ग्राम करतली में प्रस्तावित अम्बिका ओपन कास्ट परियोजना भी 5वी अनुसूची क्षेत्र में स्थित है चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर प्रभावित कृषकों की मुख्य जीवकोपार्जन का एक मात्र साधन कृषि है तथा कृषिभूमि के अर्जन होने से सम्पूर्ण आदिवासी वर्ग सहित छोटे–बड़े सभी वर्ग के कृषकों के समक्ष जीवकोपार्जन की विकराल समस्या उत्पन्न हो जायेगी। जिसके कारण हम लोग प्रस्तावित अम्बिका ओपन कास्ट परियोजना खुली खदान को संविधान के पॉचवी अनुसूची में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर प्रदत्त अधिकारों के तहत विरोध करते है एवं उक्त खदान खोले जाने का पूर्णतः विरोध करते है।
3. यह कि कोरबा जिला 5 वीं अनुसूची में दर्ज है एवं अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पंचायत उपबंध 1996 में प्रदत्त अधिकारों का खुला उल्लंघन करते हुए एसईसीएल प्रबंधन कोरबा बिना किसी प्रकार से प्रस्तावित खदान के संबंध में ग्रामसभा किये बगैर ही उद्योग से संबंधित कोई कार्य किया जाना 5वीं अनुसूची व अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पंचायत अधिनियम 1996 का खुला उल्लंघन है, जिसके कारण हम सभी प्रभावित कृषकों द्वारा उक्त प्रस्तावित खदान खोले जाने का पूर्णतः विरोध करते है तथा प्रस्तावित अम्बिका ओपन कास्ट परियोजना खुली खदान को खोले जाने का विरोध करते है।
4. यह कि कोरबा जिला वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों से घिरा हुआ तथा प्रस्तावित खदान क्षेत्र भी राजकीय वृक्षों से घिरा हुआ हैं । जहॉ पर प्रस्तावित अम्बिका आपेन कास्ट परियोजना (खुली खदान) क्षेत्र भी पूरी तरह से राजकीय वृक्षों व वनौषधीय पौधों से भरी पड़ी है चूंकि प्रस्तावित खदान खोले जाने से लगभग राजकीय वृक्ष 5 लाख से 6 लाख तक की कटाई किये जाने की संभावना है तथा प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को दोहन किये जाने से पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा, जिससे प्रस्तावित खदान के लगभग 25 से 30 कि.मी. की परिधि तक प्रभावित कृषकों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा साथ ही वनों की कटाई किये जाने से यहां पर निवासरत् सभी वर्ग के लोगों पर उक्त खदान के धुंआ व विषैले पदार्थ के निकलने से लोगों के जन जीवन पर गंभीर बीमारियों से

पीड़ित होना पड़ेगा, जिससे हम सभी आसपास के ग्रामीण जन उक्त खदान खोले जाने का पूर्णतः विरोध करते है।

5. यह कि प्रस्तावित अंबिका ओपन कास्ट परियोजना(खुली खदान) जो कि छोटे–बड़े नदी नालों से घिरा हुआ है जहां पर नदी नालों से निरंतर पानी का बहाव होते रहने से जल स्तर काफी अच्छी स्थिति में रहता है जिसके कारण अधिकांश प्रभावित किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की एक मात्र सुविधा है साथ ही जीवंत नदी नालों के घिरे होने से यहां के आसपास के सभी वर्ग के किसानों को नदी नालों पर सिंचाई के लिये निर्भर रहते है चूंकि उक्त प्रस्तावित खदान खोलने से सभी वर्ग के कृषकों को सिंचाई एवं अपने जीवकोपार्जन की विकट संकट से गुजरना पड़ेगा, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है। संपूर्ण भगौलिक प्राकृतिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों एवं सभी वर्ग के मांग के अनुरूप, जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा प्रदान करते हुए खदान खोले जाने का विरोध करते है।

6. **श्री बृजेश श्रीवास, उपाध्यक्ष, उर्जाधानी भू–विस्थापित कल्याण समिति, ग्राम–भठोरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

1. कोरबा जिला में पहले से संचालित 04 कोयला परियोजना गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा व कोरबा से सालाना लगभग 119 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो रहा है, प्रस्तावित अंबिका कोयला खदान केवल 1.35 मिलियन टन सालाना उत्पादन होना है, इसके अतिरिक्त कोयला की पूर्ति को वर्तमान में संचालित खदानों से किया जा सकता है।
2. कोरबा जिले में वर्तमान में संचालित गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा व कोरबा कोयला परियोजना के लिए कुल 72 ग्राम के कुल 22255 खातेदारों की 7805.963 कृषि जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसके कारण से जिले में कृषि जमीन का रकबा बहुत कम हो गया है, अम्बिका खदान के खुलने से कृषि रकबा और घट जायेगा।
3. कोरबा जिले में वर्तमान में संचालित गेवरा दीपका, कुमसुण्डा व कोरबा कोयला परियोजना से कुल 72 ग्राम के किसान तो प्रत्यक्ष रूप से कोयला उत्खनन व परिवहन से होने वाले वायु/जल प्रदूषण से प्रभावित हुए है

इसके साथ ही इन ग्रामों से लगे हुए लगभग 202 ग्राम प्रदूषण से प्रभावित हुए हो रहे है।

4. अम्बिका परियोजना के लिए जिन परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई है उन सभी परिवार के एक सदस्य को नियमित रोजगार परियोजना में दिया जाए आवश्यकता अनुसार कोल इंडिया पॉलिसी में सशोधन किया जाए या केन्द्रीय भूमि कानून के सभी प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए ।
5. नियमित रोजगार की उपलब्धता कम होने की स्थिति में परियोजना में कोयला खुदाई / परिवहन से संबंधित ठेका कार्य में कम से कम 20–30 % कार्य को प्रभावित परिवारों के द्वारा बनाई गई फर्म / सहकारी समिति / कंपनी के माध्यम से परियोजना की लीज अवधि तक के लिए दिया जाए।
6. परियोजना से संबंधित अन्य वैकल्पिक रोजगार जैस– पानी छिड़काव लाईट मोटर व्हीकल हियरिंग व अन्य नॉन टेकनिकल ठेका कार्य को शत प्रतिशत प्रभावित परिवारों द्वारा बनाई गई फर्म / सहकारी समिति / कंपनी के माध्यम से कराया जाए।
7. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ–साथ ग्राम के लिए प्रस्तावित पुर्नवास स्थल को विकसित कर मॉर्डन पुर्नवास ग्राम बनाया जाए।
8. कोयला खनन से पूर्व प्रभावित परिवार को जमीन व अन्य परिसम्पतियों के सम्पूर्ण मुआवजा का भुगतान, पात्रों को नौकारी की प्रक्रिया व विस्थापन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना जाए।
9. राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रभावित परिवार को वर्तमान बाजार भाव का 04 गुना मुआवजा राशि या प्रति एकड़ 6, 8 या 10 रूपये जो अधिक हो दिया जाए ।
10. प्रभावित परिवार की गणना सीबीए 1957 के धारा 9 की बजाय, अंतिम अवार्ड दिनांक से की जानी चाहिए।

7. श्री दिलीप मिरी, प्रदेश संगठन मंत्री एवं श्री अतुल दास महंत, जिला अध्यक्ष, कोरबा छत्तीसगढिया कांति सेना, कोरबा, जिला–कोरबा –

1. यह कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली की दिनांक 10.07.2019 को ओ.ए. कमांक 1038 / 2018 के जारी आदेश

अनुसार कोरबा क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया में आता है, जहॉ प्रदूषण की स्थिति पहले ही इतनी गंभीर है वहां बिना इन समस्याओं का पूर्ण समाधान किये किसी नई परियोजना का बढ़ावा देना इस आदेश का खुला उल्लंघन है।

2. यह कि एसईसीएल की चल रही ओपन कास्ट कोल परियोजनाओं द्वारा लगातार पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों तथा पर्यावरणीय कानूनों एंव नियमों की लगातार अनदेखी को संज्ञान में लेना आवश्यक है ?

3. यह कि जनसुनवाई हेतु जारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना के प्रभावों के संबंध में उल्लेखित शमन के उपाय अपर्याप्त है जैसे – कोयला परिवहन से उत्पन्न समस्याओं के लिए अपर्याप्त समाधान, ई.आई.ए. रिपोर्ट में भूमिगत जल पर पड़ने वाले प्रभाव, परियोजना क्षेत्र के पास पड़ रहे गांजर नाले पर होने वाले प्रभाव और उसके डायवर्सन के संबंध में भ्रामक जानकारी, वनों एवं वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है ?

4. यह कि नासा (NASA) के उपग्रह आधारित ऑकड़ो के अनुसार विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में कोरबा एवं रायगढ़ शामिल था, जिसमें कोरबा 17 नंबर पर है। ऐसी स्थिति में जब कोरबा को सबसे प्रदूषित शहरों की ख्याति प्राप्त हो रही है, पूरे विश्व में तो निश्चित ही समय आ गया है कि प्रदूषण से निपटने की ओर ज्यादा कार्य किये जाए, पर्यावरणीय कानूनों के पालन सुनिश्चित किये जाए न कि नई परियोजना और मुनाफे के पीछे भागा जाए ।

लोक सुनवाई दौरान मुख्य रुप से लिखित एवं मौखिक चिंताओं / सुझाव / विचार / टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ में उठाये गये मुख्य मुद्दों का समावेश निम्नाकिंत प्रश्नों में किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में श्री एस.एस. सिन्हा, महाप्रबंधक एसईसीएल कोरबा क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी समावेशित प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार है :–

प्र0 यह कि मेसर्स अम्बिका ओपन कास्ट कोल माईन्स खुलने से प्रभावितों को नौकरी पुर्नवास एवं अन्य सुविधाओं का पूर्ण विवरण देवें । तथा प्राथमिकता से पात्र लोगों को नौकरी शीघ्र देवें ।

उ0 अम्बिका ओपन कॉस्ट परियोजना हेतु अधिग्रहित निजी भूमि के एवज् में 155 रोजगार स्वीकृत है, इसके अतिरिक्त प्रभावित भू–स्वामियों जो रोजगार की पात्रता नहीं रखते है, उन्हें प्रति एकड़ पॉच लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी जो कि न्यूनतम 50 हजार रुपये होगी।

परियोजना क्षेत्र में 168 मकान प्रभावित हो रहें है, जिन्हें विस्थापित किया जाना है। ऐसे मकानों में रह रहें प्रत्येक परिवार को 6 डिसमिल भू–खण्ड अथवा 3 लाख रुपये एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी। भू–खण्ड कंपनी द्वारा निर्धारित आर एण्ड आर स्थल पर विकसित करके दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रत्येक परिवार जिनका मकान प्रभावित हो रहा है, को जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में 300 दिनों के लिए एकमुश्त निर्वहन भत्ता की राशि दी जायेगी।

प्र0 यह कि पर्यावरण स्वीकृति से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों के द्वारा यह मांग है कि पात्र लोग जो इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं सर्वप्रथम पात्र लोगों को नौकरी, पुर्नवास एवं अन्य सुविधा दी जाए ।

उ0 नियमानुसार पात्र भू–स्वामियों को नौकरी तथा बिंदू कमांक– 01 में उल्लेखित अन्य सुविधाएँ दी जायेगी।

प्र0 यह कि ग्रामीणों को गुमराह कर अनेकों प्रकार से उलझन में रखकर आज दिनांक 11.10.2019 को पर्यावरणीय लोकसुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है, जिससे हम ग्रामवासियों को उक्त लोकसुनवाई से एवं खुली खदान खाले जाने से आपत्ति है, यह कि हमारा कोरबा जिला 5 वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है एवं संविधान के 5 वीं अनुसूची में दर्ज है, जो कि ग्राम–करतली में प्रस्तावित अम्बिका ओपन कास्ट परियोजना भी 5 वीं अनुसूची क्षेत्र में स्थित है, चूंकि आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र है, जहॉ पर प्रभावित कृषकों की मुख्य जीवकोपार्जन का एक मात्र साधन कृषि है तथा कृषि भूमि के अर्जन होने से संपूर्ण आदिवासी वर्ग सहित छोटे–बड़े सभी वर्ग के कृषकों के समक्ष जीवकोपार्जन की विकराल समस्या उत्पन्न हो जावेगी ।

उ0 दिनांक 11.10.2019 को पर्यावरणीय लोक सुनवाई छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नियमानुसार की गयी है। 80% काश्तकारों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है। खदान प्रारंभ होने से प्रत्यक्ष रूप से 155 रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगें एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों रोजगार के अवसर मिलेंगें। साथ ही निकट ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य व्यवसायों के आने से क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि होगी।

प्र0 यह कि 5वीं अनुसूची में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर प्रदत्त अधिकारों के तहत् विरोध करते हैं एवं उक्त खदान खाले जाने का पूर्णतः विरोध करते है ?

उ0 खदान क्षेत्र को कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अर्जन किया गया है । अतः उक्त खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्र0 यह कि एसईसीएल प्रबंधन कोरबा बिना किसी प्रकार से प्रस्तावित खदान के संबंध में ग्रामसभा किये बगैर ही उद्योग से संबंधित कोई कार्य किया जाना 5वीं अनुसूची व अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पंचायत अधिनियम 1996 का उल्लंघन है ?

उ0 अम्बिका परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत समस्त नियमों के परिपालन के उपरांत किया गया है। परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र में कोयला उत्खनन पर्यावरणीय् स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जायेगा।

प्र0 यह कि ओपन कास्ट कोल माईन खोले जाने से लगभग राजकीय वृक्ष से 5 लाख से 6 लाख कटाई किये जाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा ?

उ0 प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 10583 वृक्ष की कटाई किया जाना प्रस्तावित है। इसके एवज में वन विभाग राज्य सरकार द्वारा अन्य वनभूमि में दोगुना वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना द्वारा आगामी वर्षों में डम्प क्षेत्र, पर वृहद वृक्षारोपण कराया जाएगा।

प्र0 यह कि अम्बिका ओपन कास्ट कोल माईन्स के खुलने से 25 से 30 कि.मी. की परिधि तक प्रभावित कृषकों के जीवन पर बूरा प्रभाव पड़ेगा ?

उ0 खदान क्षेत्र की 10किमी. परिधि में आने वाले क्षेत्र में पर्यावरण व जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन एवं उचित उपायों व समाधानों हेतु

तकनीकी अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गई है, जिसका पालन परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।

प्र0 यह कि खदान खुलने से आसपास के लोगों को गंभीर बीमारियां होगी, जिससे उक्त खदान खुलने का हम पूर्णतः विरोध करते है ?

उ0 परियोजना प्रारंभ होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, सी.एस.आर. मद में शौचालयों का निर्माण आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में व्याप्त मलेरिया व टाइफाइड जैसी बीमारियों में कमी आएगी।

प्र0 यह कि प्रस्तावित अम्बिका ओपन कास्ट कोल माईन्स जो कि छोटे–बड़े नदी नालों से घिरा हुआ है, जहॉ पर नदी नालों से निरन्तर पानी का बहाव होते रहने से जल स्तर काफी अच्छी स्थिति में रहता है, जिसके अधिकांश प्रभावित किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की एकमात्र सुविधा है। खदान खुलने से कृषकों को सिंचार्द एंव अपनी जीवकोपार्जन की विकट समस्या से गुजरना पड़ेगा , जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है ?

उ0 परियोजना प्रारंभ होने से निकट क्षेत्रों से गुजरने वाले छोटे–बड़े नदी नालों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खदान से उत्पन्न जल को सेटलिंग टैंक व फिल्टर प्लांट के माध्यम से उपचार पश्चात् निकट ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई हेतु आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त खदान सम्प में एकत्रित वर्षा जल भंडार खनन कार्य समाप्ति पश्चात निकट ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

प्र0 यह कि सम्पूर्ण भगौलिक, प्राकृतिक एवं समाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों एवं सभी वर्ग के मांग के अनुरूप जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा प्रदान करते हुए उक्त खदान खोले जाने का विरोध करते है ?

उ0 खदान खुलने से सम्पूर्ण भौगोलिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु प्रबंधन द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तावित हर उचित उपाय किये जाएंगे ।

प्र0 यह कि भूमि अधिग्रहण प्रकिया के साथ–साथ ग्राम के लिए प्रस्तावित पुर्नवास स्थल को विकसित कर मार्डन पुर्नवास ग्राम बनाया जाये ?

उ0 परियोजना द्वारा विस्थापित परिवारों को प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर भू–खण्ड प्रदान किया जायेगा।

प्र0 यह कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रभावित परिवार को वर्तमान बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा राशि या प्रति एकड़ 6, 8 या 10 लाख रूपये जो अधिक हो दिया जावे ?

उ0 मुआवजा राशि का निर्धारण राज्य–शासन के गाईड लाईन के अनुसार किया गया है। वर्तमान में 80 प्रतिशत काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्र0 यह कि प्रभावित परिवार की गणना सी.बी.ए. 1957 की धारा 9 के बजाय अंतिम अवार्ड दिनांक से की जानी चाहिए ?

उ0 प्रभावित परिवारों की गणना कार्य नियमानुसार की जा रही है।

Ou

प्र0 यह कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली की दिनांक 10.07.2019 को ओ.ए. कमांक 1038/2018 के जारी आदेश अनुसार कोरबा क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया में आता है, जहॉ प्रदूषण की स्थिति पहले ही इतनी गंभीर है वहां बिना इन समस्याओं का पूर्ण समाधान किये किसी नई परियोजना का बढ़ावा देना इस आदेश का खुला उल्लंघन है।

उ0 माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 10.07.2019 को ओ.ए. क्रमांक 1038/2018 के जारी आदेश अनुसार कोरबा क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया में आता है, किन्तु प्रस्तावित अम्बिका खदान परियोजना कोरबा इण्डस्ट्रीयल कलस्टर से करीब 50 कि.मी. दूर तहसील–पाली में स्थित है तथा वर्तमान में इसके निकट क्षे में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में बेसलाईन डाटा में पर्यावरणीय गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अंतर्गत पायी गयी है।

प्र0 यह कि एसईसीएल की चल रही ओपन कास्ट कोल परियोजनाओं द्वारा लगातार पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों तथा पर्यावरणीय कानूनों एंव नियमों की लगातार अनदेखी को संज्ञान में लेना आवश्यक है ?

उ0 एस.ई.सी.एल की संचालित ओपन कास्ट परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों तथा पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जा रहा है। प्रस्तावित अंबिका ओपन कास्ट परियोजना द्वारा इसे भविष्य में प्राप्त होने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

प्र0 यह कि जनसुनवाई हेतु जारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना के प्रभावों के संबंध में उल्लेखित शमन के उपाय अपर्याप्त है जैसे – कोयला परिवहन से उत्पन्न समस्याओं के लिए अपर्याप्त समाधान, ई.आई.ए. रिपोर्ट में भूमिगत जल पर पड़ने वाले प्रभाव, परियोजना क्षेत्र के पास पड़ रहे गांजर नाले पर होने वाले प्रभाव और उसके डायवर्सन के संबंध में भ्रामक जानकारी, वनों एवं वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है ?

उ0 प्रस्तावित परियोजना से निकट क्षेत्रों में पर्यावरण व जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन एवं उचित उपायों व समाधानों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें दिये गये प्रस्तावित उपाय/समाधान तकनीकी अध्ययन कर ही सुझाये गये है। परियोजना प्रबंधन द्वारा इन उपायों/समाधानों का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

प्र0 यह कि नासा (NASA) के उपग्रह आधारित ऑकड़ो के अनुसार विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में कोरबा एवं रायगढ़ शामिल था, जिसमें कोरबा 17 नंबर पर है। ऐसी स्थिति में जब कोरबा को सबसे प्रदूषित शहरों की ख्याति प्राप्त हो रही है, पूरे विश्व में तो निश्चित ही समय आ गया है कि प्रदूषण से निपटने की ओर ज्यादा कार्य किये जाए, पर्यावरणीय कानूनों के पालन सुनिश्चित किये जाए न कि नई परियोजना और मुनाफे के पीछे भागा जाए ।

उ0 परियोजना का प्रारंभ कोल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार कोयला आपूर्ति हेतु देशहित में किया जा रहा है एवं खदान के प्रारंभ होने से प्रदूषण रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था की जाएगी व पर्यावरणीय कानूनों का पालन किया जाएगा।

प्र0 यह कि कोल इंडिया बोर्ड कोलकाता के द्वारा भू–विस्थापितों को प्रदत्त अधिकारों (R&R) का कम्पनी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है ?

उ0 कोल इंडिया के द्वारा भू–विस्थापितों के हितों एवं अधिकारों के लिए बनाये गये समस्त नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

प्र0 यह कि वर्ष 2016 में जिला कलेक्टर कोरबा एवं कंपनी के मध्य हुए एग्रीमेंट में DRRC का पालन समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जावे।

उ0 District Rehabilitation and Resettlement Committee (DRRC) की बैठक के Minutes के मुताबिक आवश्यक कार्यवाही समय बद्ध तरीके से की जा रही है।

प्र0 यह कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में भू–अर्जन किस विधि से किया जावेगा की जानकारी नहीं दी गई है जैसे कि एसईसीएल के अधिकांश भूमियों का अर्जन कोल मेराज एक्ट 1957 के सेक्शन 14(2) के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन कोल प्रबंधन सेक्शन 14(2) अधिग्रहण एवं विकास के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी संबंधित भू–स्वामियों को नहीं दी गई है? फलस्वरूप इस धारा के अंतर्गत अधिग्रहण बनाम विकास तो विकास के अंतर्गत प्रथम दृष्टया इनको रोजगार, नौकरी, मुआवजा देना लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि नौकरी देने के मापदण्ड पर जिनकी भूमि 50 डिसमिल से कम होती है उसे नौकरी नहीं दिया जाता, इस तरह जिनकी कम भूमि है, उनके मौलिक अधिकार का खण्डन होता है।खासकर की जो विधवा महिलाएं होती है जिनकी पास जमीन कम है, उन्हे नौकरी व रोजगार

नहीं दिया जाता केवल मुआवजा ही दिया जाता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में निजी भूमि का विवरण दिया गया है, लेकिन भूमि अधिग्रहित होने वाले कृषकों को नौकारी देने का विवरण नहीं दिया गया है ?

उ0 ई.आई.ए. रिपोर्ट, में परियोजना से पर्यावरण पर सम्भावित प्रतिकूल प्रभावों का तकनीकी स्तर पर अध्ययन कर आकलन किया जाता है व समाधान हेतु उचित उपाय सुझाये जाते है। अतः इस रिपोर्ट में भू–अर्जन किये जाने के विस्तृत तरीके का वर्णन नहीं किया जाता। परियोजना से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार नौकरी, मुआवजा व पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्र0 यह कि प्रभावित गॉव में पीने का पानी होना चाहिए, अस्पताल, स्कूल, मंदिर हमारे गांव में होना चाहिए। साथ ही पेड़–पौधे होने चाहिए जिससे वातावरण सही रहें ?

उ0 निकट ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना द्वारा खदान से उत्पन्न जल को उपचार पश्चात् पेयजल आपूर्ति हेतु दिया जाएगा। सी.एस.आर. मद में बोरवेल का कार्य सामूदायिक भवन निर्माण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, विद्यालयों में निर्माण कार्य आदि कार्य किये जाएंगें। खदान में वर्ष वार उपलब्ध डम्प व अन्य भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाएगा, जिससे वातावरण पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्र0 यह कि हमारी जमीन माईन्स में जा रही है । अतः हमे जमनी के बदले नौकरी प्रदान की जावे ?

उ0 भूमि अधिग्रहण के एवज् में नियमानुसार प्रत्यक्ष 155 प्रभावित पात्र भू–स्वामियों/आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जायेगा, तथा अन्य को रोजगार के बदलें में नियमानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

प्र0 यह कि पुर्नवास ग्राम में सभी मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए ?

उ0 परियोजना प्रबंधन द्वारा विस्थापित परिवारों को पुनर्वास ग्राम में भू–खण्ड प्रदान किया जायेगा। पुनर्वास ग्राम में मूलभूत सुविधाएँ जैसेः– सड़क, पानी, नाली, बिजली कनेक्शन, पंचायत भवन, स्कूल आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

प्र0 कोरबा जिला में पहले से संचालित 04 कोयला परियोजना गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा व कोरबा से सालाना लगभग 119 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो रहा है, प्रस्तावित अम्बिका कोयला खदान केवल 1.35 मिलियन टन सालाना उत्पादन होना है, इस अतिरिक्त कायेला की पूर्ति को वर्तमान में संचालित खदानों से किया जा सकता है।

उ0 देश में कोयलें की मॉग एवं पूर्ति के अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह परियोजना प्रारंभ की जायें।

प्र0 कोरबा जिले में वर्तमान में संचालित गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा व कोरबा से कोयला परियोजना के लिए कुल 72 ग्राम के कुल 22255 खातेदारों की 7805. 963 एकड़ कृषि जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसके कारण से जिलें में कृषि जमीन का रकबा बहुत कम हो गया है, ॲबिका खदान के खुलने से कृषि रकबा और घट जायेगा।

उ0 परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण एस.ई.सी.एल. द्वारा कोल मंत्रालय भारत–सरकार के आदेशानुसार देशहित में किया गया है। परियोजना का जीवन–काल 09 वर्ष है। अतः भूमि का पुर्नउपयोग उसके पश्चात् किया जा सकेगा।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व 02 चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी आपत्तियां लिखित में प्राप्त हुई थी एवं लोक सुनवाई के दौरान 05 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान 13 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जिला–कोरबा(छ.ग.)

अपर कलेक्टर
जिला–कोरबा(छ.ग.)